



कार्यालय पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन, कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.08.2024

विषय:-थाना कपसेठी पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त साजन उर्फ सत्यम को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम, गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन व अपर पुलिस उपायुक्त गोमती ज़ोन के पर्यवेक्षण में तथा सहायक पुलिस आयुक्त राजातालाब के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 23.08.2024 को थाना कपसेठी पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कपसेठी बस स्टैण्ड के पास से नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध पंजीकृत मु0अ0सं0-109/2024 धारा-165(1) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त साजन उर्फ सत्यम बिन्द पुत्र महेन्द्र प्रसाद बिन्द, नि0 ग्राम नेवढ़िया, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. साजन उर्फ सत्यम पुत्र महेन्द्र प्रसाद बिन्द, नि0 ग्राम नेवढ़िया, थाना कपसेठी, जनपद वाराणसी उम्र करीब 20 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0-109/2024 धारा-165(1) BNS व 3/4 पॉक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्र0नि0अरविन्द कुमार वर्मा, थाना कपसेठी, कमिश्नरेट वाराणसी ।
2. का0 कमलेश कुमार थाना- कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी ।
3. हे0का0 चालक नवनीत पाण्डेय थाना कपसेठी कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, गोमती ज़ोन
कमिश्नरेट वाराणसी ।